


उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,  
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर  
सं0- 18 /13/कम्प्यू0अनु0/2016/07-परी0-2016  
लखनऊ: दिनांक- 20 जून, 2020

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा-2016 के द्वारा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अंतर्गत विज्ञापित गन्ना पर्यवेक्षक (सा0च0) परीक्षा-2016 के अंतर्गत विज्ञापित गन्ना पर्यवेक्षक के 874 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरान्त अंतिम रूप से सफल घोषित कुल 782 अभ्यर्थियों के परिणाम से संबन्धित आयोग की सूचना सं0-17/13/कम्प्यू0अनु0/2016/07-परी0-2016, दिनांक-22 जून, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें।

आयोग की उक्त सूचना दिनांक-22 जून, 2018 के क्रम में अन्तिम चयन परिणाम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में 31 अभ्यर्थियों का परिणाम शैक्षिक अर्हता, जन्मतिथि, सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र या आरक्षण के अभिलेख पूर्ण या स्पष्ट नहीं होने के कारण विदहेल्ड किया गया था। उक्त विदहेल्ड किये गये 31 अभ्यर्थियों में से 09 अभ्यर्थी आयोग के नामित सदस्य द्वारा की गयी सुनवाई में अनर्ह पाये गये हैं। उक्त पद पर रिट याचिका सं0-16989/2019 नीरज कुमार जैन तथा 02 अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-24-10-2019 को पारित आदेश के अनुपालन में आयोग के नामित सदस्य द्वारा अनर्ह पाये गये 09 विदहेल्ड चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करते हुए इनके स्थान पर मेरिट के अनुक्रम में याचिकागण व मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम तैयार किया गया, जो कि आयोग की बैठक दिनांक-12-06-2020 में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। उपर्युक्त परिणाम से संबन्धित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम उनके अर्हता/अभिलेख परीक्षण एवं मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ में विदहेल्ड अभ्यर्थियों द्वारा योजित/योजित की जाने वाली रिट याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा।

उक्त परिणाम से संबन्धित समस्त अभ्यर्थियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि गन्ना पर्यवेक्षक पद की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम (01 पृष्ठ) तथा गोपन अनुभाग के पत्र संख्या-936/गोपन अनुभाग/1/17/2016/2020, दिनांक-20-06-2020 द्वारा उक्त चयन परिणाम से संबन्धित कट ऑफ अंक (01 पृष्ठ) यथावत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।  
संलग्नक- यथोपरि।

  
20/06/2020  
(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)  
सचिव।

UTTAR PRADESH SUBORDINATE SERVICES SELECTION COMMISSION, LUCKNOW  
SELECTED CANDIDATES OF CANE SUPERVISOR (GENERAL SELECTION)  
COMPETITIVE EXAMINATION, 2016 (09 POST)

ADVT.- 07-EXAM/2016

POST NAME- CANE SUPERVISOR

UNRESERVED

SC

OBC

00001701
00004388
00006320
00009462
00012228
00018414

00002043

00000718

00008451

S.K.  
(Sahlesh Kumar)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

20/06/2020

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)  
सचिव।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग  
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर,  
संख्या:- 936/गोपन अनुभाग/1/24/2016/2020  
लखनऊ: दिनांक 20 जून, 2020

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2016 द्वारा गन्ना पर्यवेक्षक (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 के अन्तर्गत गन्ना पर्यवेक्षक के विदहेल्ड अभ्यर्थियों के अनर्ह होने के कारण रिक्त 09 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर तैयार किये गये चयन परिणाम के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का कट-आफ अंक निम्न प्रकार है:-

लम्बवत् आरक्षण

श्रेणी	अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक (लिखित+साक्षात्कार=प्राप्तांक)	अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि
अनारक्षित	216+20=236 ✓	07.05.1995 ✓
अनुसूचित जाति	178+20=198 ✓	15.09.1992 ✓
अनुसूचित जनजाति	—	—
अन्य पिछड़ा वर्ग	208+20=228 ✓	10.01.1989 ✓

क्षैतिज आरक्षण

श्रेणी	अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्राप्तांक (लिखित+साक्षात्कार=प्राप्तांक)	अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि
महिला	—	—
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	150+25=175 ✓	10.01.1993 ✓
विकलांग	164+20=184 ✓	06.02.1987 ✓

टिप्पणी— कार्मिक अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक 11.05.2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015 के नियम-8(2)(चार) के अनुसार— यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर औसत अंक प्राप्त करें, तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो सूची में उस अभ्यर्थी को उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा, जो आयु में ज्येष्ठ होगा। उपर्युक्त नियमावली में विहित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त परिणाम तैयार किया गया है।

5.11  
[Handwritten Signature]

32  
20/06/2020  
(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)  
सचिव।